A Special Lok Adalat on MACT Cases and Monthly Lok Adalat for the month of May on 08.06.20204 in Civil Court, Giridih.



In picture Ld. Sri Rajesh Kumar Bagga - District & Sessions Judge - IX (in the middle of table), Sri Bipin Yadav - Panel Advocate, DLSA, Sri K.S. Murty, Mediator, Civil Court, Giridih.













बर

चोरी

सरताज

सवार

वार की

गिरिडीह

व्यवहार न्यायालय में विशेष और मासिक लोक अदालत का आयोजन

दुर्घटनावाद के 24 मामलों का निष्पादन करोड़ रुपये का हुआ समझौ

प्रतिनिधि, गिरिडीह

ड रोड से कारी देते गिरिडीह ब्यवहार न्यायालय परिसर में ग प्रसाट शनिवार को विशेष लोक अदालत व मासिक लोक अदालत का आयोजन सुमित ड की किया गया. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा न करते प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संचिव सौनम बिश्नोई के नेतृत्व में आयोजन हुआ. मनोज प्रसाद ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन आमजनों एवं पक्षकारी को मोटर दुघर्टनावाद मामले का निष्पादन पक्षकारों की सहमति से करने के लिए झालसा रांची के निर्देश पर किया गया. कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निप्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है. आमजनों एवं पक्षकारों को इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवाने के लिए बधाई दी. कहा कि न्यायालय के द्वारा समय-समय पर लगाये जा रहे इस प्रकार के आयोजनों में शामिल होकर



विशेष लोक अदालत में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारी व अन्य

अपने मामलों को निष्पादित करायें तथा अपने समय व धन की बचत करें.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिश्नोई ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत की महत्ता एवं जन-जन तक इसकी पहचान को प्रदर्शित करता है. गिरिडीह न्यायमंडल ने इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए लगातार काम किया. इसे सफल बनाने के लिए संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, बीमा कंपनी के अधिकारी, विद्वान पैनल अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग की गयी थी. साथ ही

संबंधित न्यायालयों के द्वारा पूर्व से ही मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सचना प्रदान किया गया

आठ पीठों का किया गया था गठन बताया गया कि लोक अदालत के लिए कुल आठ पीठों का गठन किया गया था. पीठासीन पदाधिकारियों ने लोक अदालत के दिन आवंटित मामलों को निष्पादित किया. विशेष लोक अदालत में मोटर दुघर्टना वाद के 24 मामलों में 1 करोड़ 78 लाख 75 हजार, बिजली विभाग के कुल 18 मामले, सुलहनीय

राशि 37 हजार व एनअइएक्ट चेक बाउंस के कुल एक मामले में सुलहनीय ग्रीश 1.16 लाख तथा अन्य निष्पादित वादों में 93 हजार 600 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई. बताया गया कि इस विशेष लोक अदालत के साध मई माह के लिए मासिक लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित विभिन्न वादों का निष्पादन संबंधित पीठों के द्वारा किया गया. मोटर दुर्घटना वाद के 24 मामली सहित बिजली, चेक बाउंस एवं अन्य वादों के कुल 88 मामलों का निष्पादन

रुपए रही. इस विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत को सफल बनाने में मुख्य रूप से जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय एस एन सिकदर, जिला व अतिरिक्त संत्र न्यायाधीश नवम राजेश कमार बग्गा अवर न्यायाधीश (वरीय कोटी) सीमा कुमारी मिंज, न्यायाधीश प्रभारी गिरिडीह मोहम्मद दानिश नवाज सहित गिरिडीह न्यायमंडल के सभी न्यायिक व विभिन्न विभागों के, पदाधिकारी, न्यायालय के कर्मचारियों, पारा लीगल वालंटियसं सहितं पक्षकारां की सराहनीय भूमिका रही.

iit

नामांकन सुवना

ने विक्षः ६ जुलाई २०२४

http://app.prejha.org

पशु र्

बेंगा

अधि

दनुअ गिरफ

19£

(Dri

Of

